# फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ... जो हुक्म ... तामील ... |
|---|---|---|
| 27-12-19 | पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन करते हुये वकील उ०प्र० [illegible] एवं मा०न० विद्वान [illegible] प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करने के योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर निर्णय [illegible] होकर नम्बर से खारिज हो।<br>आदेश आज दिनांक 27.12.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।<br>(हस्ताक्षर) 27/12/19<br>उपखण्ड [illegible] घड़साना | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- श्यामलाल कुमावत

प्रकरण सं. 17/2015

1 महावीर पुत्र गीता देवी पत्नी बालचन्द जाति ब्राह्मण (पारीक) वार्ड 20, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2 कमलेश पुत्री गीता देवी जाति ब्राह्मण वार्ड-20, सूरतगढ़
3 विमला W/O भंवरलाल पुत्र वधु गीतादेवी जाति ब्राह्मण (पारीक) साकिन वार्ड-20 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4 संजय ] पुत्र-पुत्री विमला पौत्र पौत्री गीता अंकुवान ब्राह्मण
5 अन्जू ] (पारीक) साकिन वार्ड-20 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6 सरला पत्नि शिवगणेश पुत्र वधु गीतादेवी जाति ब्राह्मण (पारीक) वार्ड-20 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7 सीमा ] पुत्र-पुत्री सरला पौत्र पौत्री गीता देवी जाति -
8 विकास ] ब्राह्मण पारीक वार्ड-20 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9 भागवन्ती पत्नि मोहनलाल पुत्र राधाकिशन उर्फ राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण (पारीक) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10 रामकुमार ]
11 कलावती ] पुत्र पुत्री मोहनलाल पुत्र राधाकिशन
12 सन्तोष ] उर्फ राधाकृष्ण जाति ब्राह्मण (पारीक)
13 श्योबल्लभ पारीक ] वार्ड नं. 20 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
14 कृष्णा ]

बनाम

वादीगण

बनाम

—लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

1 करनैलसिंह ⎤ पिसरान बलवन्त सिंह जटसिख
2 जरनैलसिंह ⎦ पीरदेसर डूल 3DD तह० घड़साना

3 दासकौर पुत्री बलवन्त सिंह जटसिख पीरदेसर
4. डूल 3DD तहसील घड़साना

4 प्रकाशकौर जोजा बलवन्तसिंह जटसिख पीरदेसर डूल 3DD तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

5. अम्बिका पत्नि सोहनलाल पुत्र राधाकिशन उर्फ राधाकृष्ण ब्राह्मण साकिन वार्ड 1, नये बस स्टेण्ड के पीछे नोहर जिला हनुमानगढ़

6. रमावती पुत्री सोहनलाल पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण साकिन 6PF तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राज।

7 विमला पुत्री सोहनलाल पत्नि वेदप्रकाश जाति ब्राह्मण साकिन वार्ड-26 सरकारी अस्पताल के पीछे हनुमानगढ़

8. अशोककुमार पुत्र सोहनलाल ब्राह्मण साकिन वार्ड नं० 1 नये बस स्टेण्ड के पीछे, नोहर जिला हनुमानगढ़

9. अन्नपूर्णा पुत्री सोहनलाल पत्नि भागीरथ जाति ब्राह्मण वार्ड नं० 26 सरकारी अस्पताल के पीछे — हनुमानगढ़

10 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घड़साना

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 207, 209 RT Act मे प्रार्थना-पत्र ~~प्रार्थना पत्र~~ आदेश 7, नियम 11 सीपीसी

लगातार -3

उपखण्ड अधिकारी घड़साना

निर्णय दिनांक 27-12-19.

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किये जाने पर प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, व धारा 151 सी.पी.सी. के पेश किया गया और निवेदन किया की वाद के प्रतिवादी संख्या 4. का देहान्त दिनांक 03-02-2008 को हो चुका है फिर भी वादीगण ने वाद पत्र में गलत वाद हेतुक बताकर उपरोक्त वाद पत्र पेश किया है प्रतिवादी सं० 4 का देहान्त वाद कारण दिनांक से पूर्व हो चुका था जिससे स्पष्ट है कि वादीगण उक्त दावा में कोई वाद हेतुक ही प्राप्त नही है इसलिए वाद वादीगण वाद हेतुक के अभाव में इसी स्तर पर ना मन्जूर किये जाने योग्य है वादीगण ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर वाद पत्र पेश किया है क्योंकि वादीगण ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध गलत वाद कारण के आधार पर उक्त वाद पत्र पेश किया है वादीगण का उक्त वाद पत्र को वाद हेतुक के अभाव में मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने पर इसी स्तर पर नामन्जूर करवाने का निवेदन किया।

वादीगण की ओर से जरिये वकील जवाब प्रार्थना-पत्र एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश करके निवेदन किया गया कि वादीगण की ओर उक्त वाद पत्र में वर्जित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

लगातार 4

भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कास्त कर रखा है जब वादीगण द्वारा पत्र प्रस्तुत करते है 10-12 दिन पूर्व जब वादीगण प्रतिवादीगण से मिले तो आस-पास के व्यक्तियो व प्रत्यक्षदर्शीयो से मिले तो आस-पास के व्यक्तियो व प्रत्यक्षदर्शीयो ने यही बताया कि प्रतिवादी संख्या 5 वहा उपस्थित थी लेकिन आज प्रतिवादी सं. 5 की मृत्यु हो चुकी है तो भी वादीगण का वाद-पत्र इस आधार पर खारिज नही किया जा सकता क्योकि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण ने अविधिक रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है व बिना किसी आधार के उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल उत्पादन उठा रहे है व प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान भी उक्त वाद-पत्र मे बतौर प्रतिवादी पक्षकार है प्रतिवादी सं. 1 ता के विरूद्ध वादीगण को वाद बखुबी हेतुक प्राप्त है वादीगण द्वारा अनभिज्ञता व व्यक्तिगत पहचान के अभाव से सद्भाविक भूलवश प्रतिवादी सं. 5 को पक्षकार बना दिया गया व ज्ञात होते ही कि प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 5 का नाम हटाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के प्रस्तुत करने पर खारिज करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन करते हुऐ वकील उभय पक्ष द्वारा दौराने बहस किये गये तर्को का मनन किया गया तो प्रस्तुत प्रकरण पाया जाता है कि किसी भी वाद पत्र को प्रस्तुत

लगातार-5

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

2015/ 50	2015/ 000…



करने हेतु मुख्य रूप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद हेतुक होना चाहिये परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी सं० 4 जिसकी मृत्यु वादीगण के वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो जाने पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार से वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। वादीगण ने मृतक प्रतिवादी के नाम हटाने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र भी प्रकरण में प्रस्तुत कर रखा है। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं० 4 की मृत्यु होना स्पष्ट है। जिसके विरुद्ध कोई वाद हेतुक नहीं होते हुये गलत वाद हेतुक प्रकट करके वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7, नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी. के स्वीकार करना एवं वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC का जो कि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के प्रार्थना पत्र आदेश 7, नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने के 4 माह 4 दिन बाद प्रस्तुत की गई है जो कि किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं होने पर अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सी.पी.सी. का स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद पत्र, वाद हेतुक के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण सही

लगातार - 6

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Kumawat
Date: 2020.02.07 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: